

कार्यालय, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय  
रेस कोर्स रोड़ ,ग्वालियर-474002 (म.प्र.)


क्र./अधिष्ठाता/प्रक्षेत्र/ग्वालियर/2021/307

दिनांक :25.02.2021

// सूचना //

कृषि महाविद्यालय के ग्वालियर पर वर्ष 2020-21 में उत्पादित नाभिकीय/प्रजनक बीज, गेहूँ, चना व मैथी की कटाई हार्वेस्टर/कम्बाइन द्वारा कराई जाना है। जिसके लिए दरें आमंत्रित की जाती है। अतः उक्त कार्य के लिए इच्छुक व्यक्ति अपनी दरें अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, रेस कोर्स रोड़ ,ग्वालियर-474002 (म.प्र.) को दिनांक 08.03.2021 सायं 5 बजे तक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजें। सीमित निविदा दिनांक 09.03.2021 को दोपहर 2:00 बजे अधिष्ठाता कार्यालय में खोली जाएगी।

सीमित निविदा फार्म एवं शर्तें कार्यालय, प्रभारी अधिकारी प्रक्षेत्र, ग्वालियर से दिनांक 26.02.2021 से कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती हैं।

  
अधिष्ठाता

क्र./अधिष्ठाता/प्रक्षेत्र/ग्वालियर/2021/

दिनांक:

प्रतिलिपि :

1. पोर्टल प्रभारी, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
2. सूचना पटल, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर।
3. सूचना पटल ग्वालियर फार्म ।

**कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय**  
**रेस कोर्स रोड ,ग्वालियर-474002 (म.प्र.)**

सीमित निविदा फार्म क्र. -

दिनांक:

**सीमित निविदा फार्म**

**गेहूँ, चना एवं मैथी की हार्वेस्टर/कम्बाइन द्वारा कटाई हेतु।**

1. निविदाकर्ता का नाम : .....
2. पूरा पता : .....
- .....

क्र.	कार्य विवरण	दर (रुपये में)
1.	गेहूँ फसल की हार्वेस्टर/कम्बाइन से कटाई	रुपये/बीघा
2.	चना फसल की हार्वेस्टर/कम्बाइन से कटाई	रुपये/बीघा
3.	मैथी फसल की हार्वेस्टर/कम्बाइन से कटाई	रुपये/बीघा

नोट : सीमित निविदा बन्द लिफाफे में स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 08.03.2021 तक अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, कार्यालय सांय 5.00 बजे तक स्वीकृत की जाएगी।

**नियम व शर्तें:-**

1. कार्य प्रक्षेत्र अधिकारियों के बताये अनुसार ही करना होगा।
2. कार्य में बिलम्ब होने पर भुगतान रोक लिया जायेगा।
3. यदि कोई अनियमितता पायी जाती है, तो भुगतान रोक लिया जायेगा।
4. टैक्स काटे जाने की दशा में टैक्स ठेकेदार के भुगतान में से काटा जायेगा।
5. भुगतान कार्य पूर्ण होने के उपरान्त चैक द्वारा किया जायेगा।
6. निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर को होगा।
7. सीमित निविदा की दरें प्रकाशन दिनांक से 06 माह तक वैध होगी।
8. पास बुक एवं पेन कार्ड की प्रतिलिपि लगाना आवश्यक है।
9. प्रक्षेत्र ग्वालियर में आवश्यकता अनुसार कटाई का कार्य पूर्ण करना होगा।

उपरोक्त नियम एवं शर्तें मैंने पढ़ लीं हैं उपरोक्त शर्तों के आधार पर मैं काम करने को तैयार हूँ।

दिनांक :

हस्ताक्षर